

बिहार सरकार  
गन्ना उद्योग विभाग

—: अधिसूचना :-

पटना, दिनांक

अप्रैल, 2026

अधि०सू०सं०-01/स्था०राज०-304/2024— श्री पुष्कर राज, ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय, दरभंगा को स्वयं के विवाह हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम, 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-21.04.2026 से 04.05.2026 तक कुल 14 (चौदह) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री पुष्कर राज, ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय, दरभंगा को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-5632 दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8 (iii) के आलोक में उपर्युक्त अवकाश के उपभोग के उपरांत वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वैयक्तिक दवा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. श्री पुष्कर राज, ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय, दरभंगा के उक्त उपार्जित अवकाश की अवधि में सुश्री शिवांगी पाण्डेय, ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर अपने कार्यों के अतिरिक्त ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय, दरभंगा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह०/-  
(राजीव रंजन)  
सरकार के अवर सचिव।

अधि०सू०सं०-01/स्था०राज०-304/2024- 735 पटना, दिनांक 20 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई०टी० गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/श्री पुष्कर राज, ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय, दरभंगा/सुश्री शिवांगी पाण्डेय, ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर/आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Raje,  
20/04/26.  
सरकार के अवर सचिव।

Ra